FORM NO. 69

फर्द अहकाम

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी — मुकाम– धोद मु. सीकर

रामगोपाल — बनाम — तहसीलदार आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट — मु.नं. 93/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2019	वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे पेश किया गया। प्रकरण अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर हों। प्रकरण रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में है, अतः तहसीलदार, धोद को तथ्यात्मक रिपोर्ट/जवाब हेतु लिखा पत्रावली दिनांक 09.12.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर	
9/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। रिपोर्ट का इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार धोद के रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की। वास्ते बहस दिनांक 30/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/1/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/1/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। साक्ष्य में गुलाब चन्द व रणवीर सिंह के शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली कर बहस ~~सुनी~~ सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/1/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/1/2020	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली कैफियत पूरा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी धोद म सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा:– प्रार्थना–पत्र / 93 / 2019

रामगोपाल पुत्र मेघाराम उम्र 49 वर्ष जाति जाट, निवासी कदमा का बास, तहसील धोद जिला सीकर(राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील धोद जिला–सीकर राज.
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, बजाज रोड़, सीकर जरिये मैनेजर

–अप्रार्थीगण

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति–

श्री कुलदीप सिंह, वकील प्रार्थी की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– **20.01.2020**

01. वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का पुरां बड़ी तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा सं. 136 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 137 रकबा 9.3000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 9.3200 हेक्टेयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/2 हक, हिस्सा एवं कब्जा–काश्त है। उक्त खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोपालराम पुत्र मेघाराम सहवन से अंकित हो गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम रामगोपाल पुत्र मेघाराम ही है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा चुनाव पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र मेघाराम ही अंकित है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 136 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 137 रकबा 9.3000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 9. 3200 हेक्टेयर वाके ग्राम ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का पुरां बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोपालराम पुत्र मेघाराम के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मेघाराम अंकित किया जावें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, धोद से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक / रीडर / 593 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने साक्ष्य में सुभाष जाखड़ व रणवीरसिंह के शपथ–पत्र पेश किये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

Scanned with CamScanner

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराकर मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2064–67 के अनुसार उक्त विवादित खसरे के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम पर जरिये विरासत दर्ज हुई है, जिसमें प्रार्थी का नाम गोपालराम अंकित किया है। लेकिन पत्रावली में संलग्न चुनाव पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र मेघाराम अंकित है। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार "प्रार्थी का सही नाम रामगोपाल पुत्र मेघाराम है।" पत्रावली में संलग्न दो गवाहों रणवीर सिंह पुत्र ईश्वरलाल जाति जाट निवासी कदमा का बास व सुभाष जाखड़ पुत्र नन्दलाल जाखड़ जाति जाट निवासी कदमा का बास के शपथ–पत्रों में भी यह अंकित है कि "रामगोपाल व गोपालराम दोनों एक ही व्यक्ति (प्रार्थी) के नाम है। प्रार्थी को गांव में सब लोग गोपाल नाम से पुकारते थे। इसलिए विरासत के नामान्तरकरण में पटवारी ने सहवन से गोपालराम अंकित कर दिया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामगोपाल है तथा सभी दस्तावेजों में यही नाम अंकित है।" अतः पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों, तहसीलदार धोद की रिपोर्ट व दो गवाहों के शपथ–पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

05. अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 136 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 137 रकबा 9.3000 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 9.3200 हेक्टेयर वाके ग्राम ग्राम कदमा का बास तहसील धोद जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गोपालराम पुत्र मेघाराम के स्थान पर रामगोपाल पुत्र मेघाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.02.04 12:28:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: